अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

शान्ति देवी बनाम नन्दलाल, स्टेट

किस्म मुकदमा : अपील सं. 193/2014 एल.आर. एक्ट

(जीसीएमएस संख्याः 2013/00013)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.02.2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। इस न्यायालय में यह अपील वर्ष 2013 से विचाराधीन चल रही है, जिसमें रेस्पोन्डेंट सं. 1, 2 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 30–9–2013 से पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आज दिनांक तक रेस्पोन्डेंट सं. 1, 2 के निमित सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन स्थगन आदेश प्राप्त करने के पश्चात् उनके द्वारा रेस्पोन्डेंट सं. 1, 2 के निमित सम्मन प्रस्तुत नहीं किये। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः यह अपील अपीलान्ट अदम तकमील में खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित हो। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 08–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। संभागीय आयुक्त बीकानेर	